10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

151

न्यायालय- माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर म0प्र0

R-1686-I/16

1. भुजबल सेन वल्द गुलाब सेन

2. गनपत सेन वल्द गुलाब सेन

दोनों साकिन- ग्राम ममरखा, तह0 पथरिया, जिला दमोह म0प्र0

....... आवेदकगण.

आज दि० 30-5-16 को

// बनाम //

....... अनावेदक.

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

म0 प्र0 शासन

निगरानी अन्तर्गत धारा- 50 म0 प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959

यह निगरानी, अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय पथरिया, जिला दमोह म0प्र0 के अपील प्र0क्र0- 6/अ-6/ वर्ष 2014-2015 में पारित आदेश दिनांक- 30.7.2015 से परिवेदित होकर निम्न तथ्यों व आधारों पर प्रस्तुत है :-

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1686/एक/2016 जिला–दमोह

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही एवं आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 24-6-16 | यह निगरानी आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, पथरिया के प्रकरण क्रमांक 6/अ–6/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 30.07.2015 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे अगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।<br>2– प्रकरण का सारांश यह है कि मौजा ममरखा प.ह.नं. 27 तहसील पथरिया, जिला दमोह में स्थिति भूमि नमबर 102 रकवा 4.00 है. में से 2.00 एकड़ भूमि पंजीकृत वयनामा दिनांक 22.05.1974 को विक्रेता ललतीबाई जोजे गुलाबबाई से क्रय की थी तथा संशोधन पंजी वर्ष 1977–78 क्र. 16 पर पारित आदेश दिनांक 19.07.1978 को पूरनचन्द्र बल्द गंगाराम के पक्ष में नामांतरण स्वीकृत हो चुका है, अतः आवेदक के पुत्र आशीष पुत्र कपूरचन्द्र आसाटी द्वारा पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 22.05.1997 जो उसके पिता कपूरचन्द्र द्वारा क्रय करने से अपना नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पत्र तहसीलदार, पथरिया द्वारा आदेश दिनांक 29.09.2014 से निरस्त कर दिया है, जिसके विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, पथरिया के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी है, जो पारित आदेश दिनांक | |

30.07.2015 से स्वीकार हुयी है। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गयी हैं।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

4– आवेदकगण अभिभाषक ने तर्को में बताया कि उसके द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष अवधि वाह्य निगरानी प्रस्तुत की गयी है, जिसके साथ परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है तथा उल्लेख किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश की जानकारी नहीं दी गयी और उनके अधिवक्ता द्वारा आदेश की जानकारी देरी से दी गयी है, ऐसी स्थिति में जानकारी दिनांक से निगरानी अंदर अवधि में प्रस्तुत की गयी है, अतः सुनवाई हेतु वाह्य की जाये। अधिवक्ता की त्रुटि के लिए पक्षकार को दण्डित नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए वर्तमान निगरानी में प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का आवेदन सद्भाविक होने से स्वीकार किया जाता है।

5– आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह उल्लेख किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा आशीष आसाटी पुत्र कपूरचंद आसाटी की ओर से प्रस्तुत नामान्तरण आवेदन आदेश दिनांक 29.09.2014 से निरस्त किया है। इस आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत होने पर अपील स्वीकार कर जो नामान्तरण आदेश अनुविभागीय अधिकारी पथरिया द्वारा दिया गया है, अतः निरस्त किया जाये एवं निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

6- आवेदक अभिभाषक के तर्को तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार पथरिया द्वारा आशीष पुत्र कपूरचन्द्र आसाटी की ओर से प्रस्तुत नामान्तरण आवेदन, आवेदक की ओर से प्रस्तुत आपत्ति को मान्य करते हुए पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर विधिवत जाँच करने के पश्चात् निरस्त किया था, जिसे अनुविभागीय अधिकारी, पथरिया द्वारा अपने आदेश दिनांक 30.07.2015 से निरस्त कर दिया है तथा नामान्तरण किये जाने के आदेश दिये हैं, जबकि विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य से यह प्रमाणित माना गया था कि नामान्तरण आवेदन पत्र विधिवत एवं उचित नहीं है, अतः निरस्त किया था, ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय द्वारा बिना किसी साक्ष्य के जो नामान्तरण आदेश दिया है, वह वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी, पथरिया द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7- उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी, पथरिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 6/अ-6/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 30.07.2015 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार पथरिया द्वारा प्रकरण 2/अ-6(अ)/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 29.09.2014 स्थिर रखा जाता है।

सदस्य